

(संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम. सं.

7		परियोजना के/स्कीम का स्थान	जनपद अल्मोड़ा में रापड़-जीनापानी-मझेड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 16.200 किमी.(3.240है०)।			
	A.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र-	उत्तराखण्ड।			
	B.	जिला-	अल्मोड़ा।			
	C.	वन प्रभाग-	अल्मोड़ा वन प्रभाग।			
	D.	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)-	आरक्षित वनभूमि	राज्य वन भूमि	वन पंचायत भूमि	कुल 3.240 है०
			-	2.160 है.	1.080 है.	
	E.	वन की कानूनी स्थिति-	सिविल सेव वन पेयपत्र वन अधिनियम			
	F.	हरियाली का धनत्व-	1.3			
	G.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल.-8 मीटर पर परिगणना भी संलग्न किये जायं-	353 वृक्ष प्रभावित होते हैं।			
	H.	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी-	भूक्षरण की कोई संभावना नहीं है।			
	I.	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी-	लगभग 10.00 कि.मी.			
	J.	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायं)-	नहीं।			
	K.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन/विशिष्ट प्रजातिया पायी जाती हैं। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें-	नहीं।			
	L.	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो या-	नहीं।			
8		प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या हैं-	प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम है।			
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही, सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं-	नहीं।			
10	A.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार-	संलग्न है।			
	B.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप-	संलग्न है।			

भाग-2
(संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

	C.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची, लागत ढांचा आदि-	संलग्न है।
	D.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिद्वय-	प्रतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न है।
	E.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायं)-	संलग्न है।
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालग 7 (K, L) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)-	
12		प्रभाग/जिला प्रोफाइल-	
	A.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र-	3689.30 वर्ग किमी
	B.	जिले का वन क्षेत्र-	1309.49 " " "
	C.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र-	500 मामले 828.608 हे
	D.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक नवीनीकरण-	1430.5725 हे
		(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि-	629 हे
		(ख) वनेत्तर भूमि पर 2010-11 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति-	629 हे
		(क) वन भूमि पर	—
		(ख) वनेतर भूमि पर	—
13		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश-	प्रस्ताव स्वीकृति से स्वीकृति की जा रही है

दिनांक - 7.6.11
स्थान अमरावती

प्रभागीय वन अधिकारी
अमरावती वन प्रभाग अमरावती

हस्ताक्षर